राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/बजट/2016/पार्ट/11168-368 दिनांक : 16.8.2016

1. आयुक्त,
   जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त, नगर निगम,
   जयपुर/अजमेर/जोधपुर/कोटा/
   उदयपुर/बीकानेर।
3. आयुक्त,
   राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4. समस्त सचिव,
   नगर विकास न्यास, राजस्थान
5. समस्त आयुक्त,
   नगर परिषद, राजस्थान
6. समस्त अधिषासी अधिकारी,
   नगर पालिका, राजस्थान

विषय : अपूर्ण मुद्रांक/बिना मुद्रांक पर निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता सुनिश्चित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–37 (3) में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु./97 दिनांक 16.12.97 से केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को स्टाम्प एक्ट के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लिये लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है। लोक कार्यालय के प्रभारी का यह दायित्व है कि उसके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज या जिन दस्तावेजों के आधार पर पट्टा निष्पादित किया जा रहा है, उन पर स्टाम्प ड्यूटी की नियमानुसार देयता सुनिश्चित करें।

लोक कार्यालयों जैसे विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर निगम इत्यादि द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956/अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत भू–नियमन के पट्टें अपूर्ण मुद्रांक/बिना मुद्रांक पर निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अंतिम हस्तान्तरिति के पक्ष में जारी किये जाते है। विभाग के ध्यान में आया है कि अंतिम हस्तान्तरिति द्वारा भूखण्ड इकरारनामों से क्रय किया जाता है। इन इकरारनामों पर पट्टा जारीकर्ता संस्था द्वारा निर्धारित दर से स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जा रही है और ना ही उप पंजीयक को अवगत कराया जा रहा है, इससे राजस्व की छीजत हो रही है।

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in

F7-39-G.doc

राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)वित्त/कर/2015–227 दिनांक 09.03.15 जारी कर आवासीय सहकारी समितियों द्वारा जारी आवंटन पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गयी है, किन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इनके आधार पर जारी किये जाने वाले पट्टों में ऐसे दस्तावेजों की सूचना का अभाव होने के कारण उन पर स्टाम्प ड्यूटी प्रभार्य करने/वसूली में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपूर्ण/बिना मुद्रांक के निष्पादित दस्तावेज के आधार पर पट्टा जारी करने पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–73 के अंतर्गत प्रत्येक मामले में 5000 रूपये तक दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

अतः इस विषय के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की निरंतरता में निर्देशानुसार लेख है कि भू–राजस्व अधिनियम, 1956/अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत भू–नियमन के पट्टें, अपूर्ण मुद्रांक/बिना मुद्रांक पर निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अंतिम हस्तान्तरिति के पक्ष में जारी करते समय, ऐसे मध्यवर्ती अपूर्ण मुद्रांक/बिना मुद्रांक पर निष्पादित सभी दस्तावेजों का उल्लेख उप पंजीयक को जारी किये जाने वाले पत्र/पट्टें में करावें और उन सभी दस्तावेजों की सूची पट्टें के साथ संबंधित उप पंजीयक को भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रदान करें, ताकि ऐसे मध्यवर्ती दस्तावेजों पर नियमानुसार प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की वसूली उप पंजीयक द्वारा सुनिश्चित की जा सकें।

भवदीय

16.08.2016

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/बजट/2016/पार्ट/11369–911 दिनांक : 16.8.2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान/समस्त उप पंजीयक (पदेन एवं पूर्णकालीन), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त सभी संबंधित संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों से व्यक्तिशः सम्पर्क करें एवं पत्र व्यवहार कर विभाग के उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

16-08-2016

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in